स्टेशनरी आपूर्ति किये जाने बाबत वित्तीय प्रस्ताव–

1. फर्म का नाम :–
2. पता एवं मोबाईल नं. :–
3. ईमेल आई डी :–
4. जिसको संबोधित किया गया :– रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर।
5. सन्दर्भ बोली सूचना क्रमांक दिनांक
6. बोली शुल्क राशि रू. – 200/– डी.डी. संख्या दिनांक संलग्न है।
7. प्रतिभूति राशि रू. 2800/– डी.डी. संख्या दिनांक संलग्न है।
8. स्टेशनरी सामग्री का विवरणः–

क्र.सं	सामग्री की विवरण	अनुमानित इकाई	दर प्रति इकाई	जी.एस.टी. दर प्रतिशत	कुल योग
1	फाईल टैग	25 पैकेट			
2	नोटशीट पेड	50 नग			
3	लिफाफे 9 X 04	30 पैकेट			
4	लिफाफे 11 X 05	30 पैकेट			
5	लिफाफे 9 X 12	5000 नग			
6	लिफाफे 15 X 12	3000 नग			
7	फाईल फ्लेग	25 पैकेट			
8	व्हाईट डस्टर	50 नग			
9	स्लीप पेड	25 नग			
10	हाईलाईटर पैन	30 नग			
11	कपड़े के बस्ते	100 नग			
12	सामान्य लाईनदार रजिस्टर	25 नग			
13	पोकर	10 नग			
14	ऑल पिन पैकेट	20 पैकेट			
15	व्हाईट फ्लूड	10 नग			
16	पैन्सिल पैकेट (नटराज)	20 पैकेट			
17	रबड़	50 नग			
18	शॉपनर	50 नग			
19	स्टाम्प पेड	10 नग			

रजिस्ट्रार
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल
जयपुर

20	फाईल फ्लेपर (लंगोट)	500 नग			
21	स्टेपलर पिन नं. 10	100 पैकेट			
22	स्टेपलर पिन नं. 24/6	100 पैकेट			
23	ब्लेक मार्कर पैन मोटे	20 नग			
24	ब्लेक मार्कर पैन (सी.डी. मार्कर)	20 नग			
25	सैलो टैप 2"	100 नग			
26	सैलो टैप 1"	20 नग			
27	उपस्थिति रजिस्टर	05 नग			
28	इण्डेक्स फाईल	20 नग			
29	पियोन बुक	25 नग			
30	ग्लू स्टिक	100 नग			
31	गोन्द की बोतल 500 एम.एल.	02 नग			
32	लिगल रिम	50 नग			
33	ए–4 रिम	150 नग			
34	फाईल पेड	1000 नग			
35	फाईल कवर	1000 नग			
36	फाईल लैस	20 पैकेट			
37	बिल रजिस्टर	10 नग			
38	स्टेपलर नं. 10	05 नग			
39	कैंची मिडियम साईज	10 नग			
40	केलकुलेटर	05 नग			
41	मिडियम साईज पंचिंग मशीन	05 नग			
42	बॉल पैन (नीला,काला,लाल)	200 नग			
43	जैल पैन (ट्रीमैक्स)(काला,नीला)	40 नग			

रजिस्ट्रार
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल
जयपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर, नाम मय सील

स्टेशनरी आपूर्ति संबंधी निविदा की शर्तेः–

1. यह कि निविदा पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम –2012 व नियम–2013 के सभी प्रावधान लागू होंगें।
2. सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्त्ता द्वारा अनुबंध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
3. सशर्त निविदायें अस्वीकार्य होगी।
4. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकार पत्र जारी होने के सात दिवस के भीतर नियमानुसार राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
5. दर अनुबंध, अनुबंध अवधि से एक वर्ष की होगी, जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
6. निविदा अवधि में सफल निविदादाता एवं आरपीएमसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रजिस्ट्रार, आरपीएमसी का निर्णय अन्तिम होगा।
7. अनुबंध अवधि के दौरान सामग्री की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।
8. अनुबंध अवधि में निविदादाता समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामग्री का उपापन अन्य फर्म से निविदादाता की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर कर लिया जावेगा, तथा अन्तर राशि वसूली कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जावेगी।
9. स्टेशनरी सामग्री हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में अंकित की जानी है। साथ ही सामग्री का मैक/किस्म/प्रमाप भी अंकित किया जाना है।
10. निविदा के साथ वित्तीय प्रस्ताव में वर्णित समस्त मदों के नमूने विभाग में प्रस्तुत करने होंगे। समस्त नमूनों पर आवश्यकतानुसार निविदादाता को हस्ताक्षर कर फर्म की मोहर यथासम्भव अंकित करनी होगी।
11. आदेशित माल की 07 दिवस में आपूर्ति नहीं करने पर परिनिर्धारण शुल्क अनुबंधित निविदादाता से वसूलीय होगा, जिसकी दरें निम्नानुसार होगीः–

(i) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 25% विलम्ब के लिये 2.50%

(ii) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 25% से अधिक एवं 50% से कम विलम्ब के लिये 5.00%

(iii) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 50% से अधिक एवं 75% से कम विलम्ब के लिये 7.50%

(iv) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 75% से अधिक विलम्ब के लिये 10.00%

उपरोक्त के पश्चात् भी अनुबंधकर्त्ता द्वारा यदि सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो अनुमोदित फर्म की रिक्त एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से क्रय कर लिया जावेगा, तथा अन्तर राशि की वसूली आदेशित फर्म से देय राशि अथवा जमा धरोहर राशि में से कर ली जावेगी।

रजिस्ट्रार
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल
जयपुर

12. निविदा खुलने के पश्चात बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता या अनुबंध पश्चात आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करता तो निविदा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा, तथा फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. निविदादाता की फर्म का पूर्ण पता टेलीफोन/मोबाईल नम्बर प्रपत्र में अंकित करना होगा, सक्षम समिति अथवा उनके प्रतिनिधियों को बोलीदाता फर्म निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।
14. कार्यालय में आवश्यकतानुसार अनुमोदित दरों पर क्रय आदेश जारी किया जावेगा।
15. रजिस्ट्रार, आरपीएमसी को किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. जब तक सफल निविदादाता एवं उपापन संस्था के बीच अनौपचारिक अनुबंध नहीं हो जाता, तब तक निविदा दस्तावेज के आधार पर कोई संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।

उपरोक्त शर्ते मैनें/हमने पढ़ली है, और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान मेडिकल कौंसिल
जोधपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर, नाम मय सील